

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 29.03.2023

+ रि.या.(सि.) 4088/2023

एक्स एचसी/जीडी संतराज (संख्या .....याचिकाकर्ता  
930120101)

द्वारा : श्री मोहन कुमार, अधिवक्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री राजेश कुमार, श्री शौर्य कटोच  
और श्री मिशिका,  
अधिवक्तागण।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री पूनम ए. बंबा

निर्णय (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थागण को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 10.12.2022 के कानूनी अभ्यावेदन को समयबद्ध तरीके से निपटाएं।
2. वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थागण को आज से चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त अभ्यावेदन का फैसला करने और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश के साथ याचिकाकर्ता को सूचित करने के लिए निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं।
3. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।
4. कहने की आवश्यकता नहीं है, यदि याचिकाकर्ता अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थागण के निर्णय से व्यथित महसूस करता है तो वह समुचित फोरम से संपर्क कर सकता है।

(सुरेश कुमार कैत)  
न्यायमूर्ति

(पूनम ए. बाम्बा)  
न्यायमूर्ति

29 मार्च, 2023/ ऐबी

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।